

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राम : यूनिवर्सिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/महा.वि.प./2011/ ३५७

दिनांक: ३०/०७/११

// अधिसूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध अशासकीय महाविद्यालयों की शासी निकाय की समितियों में परिनियम २८(भाग-३) की धारा ६(१)(सी) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक १९ मई, २०११ के पद क्रमांक (३०) के (अ-अ-१२) पर लिये गये निर्णयानुसार शासी निकाय में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि मनोनीत किये जाते हैं :-

महाविद्यालय का नाम : चम्बल बी.एड. महाविद्यालय, मुरैना

मनोनीत सदस्य : १. श्री अलबेल सिंह धुरैया, सदस्य कार्यपरिषद्

2. डॉ. के.पी.एस. चौहान, प्राचार्य, शासकीय भगवत सहाय कॉलेज, ग्वालियर

उपरोक्त सदस्यता दो वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।

अधिकारी
महाविद्यालयीन विकास परिषद

प्रतिलिपि:-

- सम्बन्धित प्रतिनिधियों की ओर सूचनार्थ।
- प्राचार्य, चम्बल बी.एड. महाविद्यालय, मुरैना की ओर भेजकर तत्काल प्रभाव से शासी निकाय में मनोनीत सदस्यों को सूचित करते हुये पत्र प्राप्त होने के एक माह की अवधि में प्रथम शासी निकाय की बैठक बुलाई जावे। इस तरह कम से कम एक वर्ष में तीन बार शासी निकाय की बैठक होना अनिवार्य है तथा बैठक होने के तुरन्त बाद पूर्ण विवरण एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करें तथा साथ में आपको यह भी सूचित किया जाता है कि मनोनीत सदस्यों को कॉलेज कोड २८ शिक्षण संस्थान अधिनियम १९७८ तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्गदर्शिका प्रयम बैठक के पूर्व में प्रदान करें।

शासी निकाय की बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों का ठी.ए./टी.ए. महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

अधिकारी
महाविद्यालयीन विकास परिषद

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र ब्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे व
कि किसी अन्य घटाधिकारी के नाम से।
सम्बोधित विषय पर यदि पूर्ण में पत्र
ब्यवहार दुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
अधिक लिखा जावे जिससे लिया हो।



पत्र : गृहीतगिरी
दूषण : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्ट्र : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ 4530

दिनांक: 09/02/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध चंबल बी.एड. महाविद्यालय, अम्बाह, रोड, मुरैना (98268-24512) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/तिवारों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसार्ण प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अनुरूप लिखनानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है:-

- (1) प्रो. ए.पी.एस. चौहान, आचार्य, राजनीति विज्ञान अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442836)
- (2) प्रो. विवेक बापट, आचार्य, समाजकार्य एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
- (3) डॉ. बी.एल. यादव, आचार्य, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।


निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के ग्राहकों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष विद्येयन कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक ट्रॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त लक्ष्यमात्र/अनापति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आईडिनेश्यु तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा आचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक ट्रॉफ की विद्युतियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसार्ण अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से समर्क स्वायत्तं कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से विवेदन है कि वे उक्त विधारित समय में विरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। विरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व विरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देरी के लिए गहाविद्यालय द्वारा उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 आठ में विरीक्षण नहीं करता है तो समिति द्वारा विरुद्ध हो जावेगी और पुनः विरीक्षण समिति गवर्नर हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही विरीक्षण समिति का पुर्वजल्ब किया जायेगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए विवा छत्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

विरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यरत सहायक प्राचाली लेकर जावेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से विरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। विरीक्षण समिति के सदस्यों ने दी.ए. / डी.ए. / मार्केड गहाविद्यालय द्वारा देय होगा।

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि सं.वि. के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक विधारित कर महाविद्यालय का विरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 16 दिवस के अन्दर करने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सत्युद्धा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के विजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)